

परियोजना का नाम :- जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड़-धरमगढ़-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनमूलि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हरतान्तरण।

मानक शर्ते

1. भूमि हरतान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भौति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदमपित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, सरकार अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि मॉर्गी गाई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य दैक्षिण्य भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हरतान्तरण विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के मुतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखाल करेगा।
7. हरतान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हरतान्तरण विभाग को कोई अपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आदादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हरतान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। कवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की बहिरपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वचालन विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हरतान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/ जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पोधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हरतान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संरक्षा या व्यक्ति विशेष की हरतान्तरित करने पर वन भूमि रखत: विभाग किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हरतान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः विभाग किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाइंगमेंट तथा होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श साठ०निंदि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, साठ०निंदि० के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वत क्षेत्र पोर्ट को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी साठ०निंदि० द्वारा किया जायेगा कि अश्वामार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को कर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदलत मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के समझे द्वारा किया जायेगा।
13. वन भूमि पर छड़े वृक्षों का निस्तराण वन विभाग उत्तराखण्ड वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी करण से वृक्षों का वाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हरतान्तरित भूमि पर पड़ते वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हरतान्तरित भूमि के सम्पुर्ण क्षेत्रफल में वृक्षरापण तथा 3 वर्ष तक परिप्रणण यथा जो भी वन विभाग द्वारा तथ किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 दिमी से अधिक ढाल पर छड़े वृक्षों का पालन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पालन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पालन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कठान नहीं किया जायेगा। या यांत्रों को ऊंचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कठान अनिवार्य प्रतीत होता है तो चून्तनम पेड़ों की संख्या संयुक्त खत्तल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पवका करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग रख्य अपने यथ से करायाया।
17. उपरोक्तिवित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हरतान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शार्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आशयासन प्राप्त हो जाय।

याचक विभाग को मान्य है।

सम्मान अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट

सम्मान अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट

अधिकारी अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट

सम्मान अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट

सम्मान अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट

सम्मान अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट